कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी

डिण्डौरी जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कपिल धारा जल प्रपात (अमरकंटक) के समीप स्थित सामुदायिक भवन सह कला दीर्घा के संचालन तथा प्रबंधन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है।

(I) प्रस्तावना :–

जिला डिण्डौरी में बैगा, गौंड आदि जनजातियों के पारम्परिक कला उत्पादों के बेहतर मार्केटिंग तथा जिले की सांस्कृतिक संपदा के प्रभावी प्रदर्शन हेतु जिला पर्यटन विकास समिति डिण्डौरी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त चयनित सामुदायिक भवन प्रांगण को डिण्डौरी की परम्परागत धरोहर के संरक्षण तथा प्रदर्शन हेतु कला एवं हस्तशिल्प कला दीर्घा सह प्रदर्शिनी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए।

इस हेतु इच्छुक संस्थाएँ अपने प्रस्ताव निम्न शर्ते पालन करने की स्थिति में प्रस्तुत कर सकती है:–

1. संस्था एक पंजीकृत निकाय हो जिसका Soc. Act, Co-op Act, Companies Act आदि में जीवित पंजीयन हो।
2. संस्था का हस्तशिल्प प्रचार के क्षेत्र में मार्केटिंग सीधी बिक्री उत्पाद निर्माण का कम से कम पिछले 5 वर्ष का अनुभव हो।
3. संस्था द्वारा इसी प्रकार के कला दीर्घा/प्रदर्शेनी अन्य स्थानो पर संचालित किए जा रहे हो
4. संस्था का पिछले दो वर्षो का वार्षीक वित्तीय टर्नओवर पचास लाख हो।
5. संस्थाएँ जिनका TRIFED/ म.प्र. हस्तशिल्प एवं हथकरधा विकास निगम लिमिटेड़ के साथ जीवित अनुबंध हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी।

(II) संस्था से अपेक्षाएँ :–

1. सामदुायिक भवन परिसर जो कि वर्तमान में अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है, का पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया जाकर संस्था को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. संस्था, परिसर को हस्तशिल्प कला दीर्घा सह पदर्शनी केन्द्र के रूप में विकसित करेगी जो डिण्डौरी जिले के सांस्कृतिक उत्पाद हेतु उपयोग किया जाएगा।

ये उत्पाद मुख्यतः तीन प्रकार के होंगे :–

- बरगा कुरेली के लौह धातु हस्तशिल्प
- पाटनगढ़ के गौंडी पेंटिंग
- सरवाही बुनकरो के हथकरघा उत्पाद
- हस्त निर्मित काष्ठ उत्पाद

इनके अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी/बिक्री संस्था द्वारा जिला पर्यटन विकास समिति के अनुमोदन उपरांत की जा सकेगी। परंतु यह कि उक्त परिसर का उपयोग मूलतः हस्तशिल्प/हथकरघा एवं सांस्कृतिक उत्पादों के प्रदर्शन/ बिक्री हेतु ही किया जा सकेगा।

3.संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में ऐसी किसी भी गतिविधि का संचालन इस परिसर से नही किया जाएगा, जिसका अनुमोदन पूर्व में जिला स्तरीय समिति से न लिया गया हो। अन्यथा संस्था के साथ अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

4. संस्था के साथ 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा। इस अवधि में संस्था द्वारा मासिक किराया जिला पर्यटन विकास समिति के खाते में ई ट्रांसफर किया जाएगा। इस अवधि में अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध अवधि को 1 वर्ष तक के लिए जिला पर्यटन विकास समिति की अनुंशसा पर बढ़ाया जा सकेगा। किराये में वृद्धि किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय जिला पर्यटन विकास समिति का होगा।

5. संस्था द्वारा जो स्थानीय सांस्कृतिक उत्पाद बरगा, कुरेली, पाटनगढ़, सरवाही/अन्य स्थानीय शिल्पियों से क्रय किए जाएगें उनके क्रय मूल्य (वह मूल्य जो शिल्पकार को दिया जाना है) तथा बिक्री मूल्य (वह मूल्य जिस पर संस्था द्वारा हस्तशिल्प का विक्रय किया जाना है) की उत्पादवार जानकारी जिला पर्यटन विकास समिति के समक्ष मासिक रखी जाएगी। यादि समिति का यह अभिमत है कि संस्था द्वारा हस्तशिल्प के बिक्री मूल्य की तुलना में युक्ति संगत मूल्य स्थानीय शिल्पकार को नही दिया है तो समिति को यह अधिकार्यता होगी कि स्थानीय शिल्पकार तथा संस्था के बीच मध्यस्थता करते हुए खरीदे जा रहे हस्ताशिल्प का उचित मूल्य शिल्पकार/पेंटर/बुनकर को उपलब्ध कराए।

6. संस्था द्वारा प्रयास किए जाएगे कि कला उत्पादों की प्रदर्शनी/विक्रय के साथ–साथ उनकी उत्पादक प्रक्रिया का (बरगा/कुरेली के लौह हस्तशिल्प का निर्माण/पेंटिंग कला/ हेन्डलूम पर बैगानी/गौंडी हथकरघा उत्पादन) भी उक्त परिसर में सजीव चित्रण किया जाए।

7. वर्तमान में स्थानीय हस्तशिल्पकारो को किसी भी प्रकार की मुल्य निर्धारण/लेबलिंग की जानकारी नही है, संस्था का यह प्रमुख दायित्व होगा कि इस संबंध में शिल्पकारो को विशेष रूप से प्रशिक्षित करे तथा जिले के सांस्कृतिक उत्पादों के लिए ब्रांड नेम स्थापित करे।

8. स्थानीय शिल्पकारों को Trifed/ MP हस्तशिल्प/हथकरघा विभाग आदि संस्थाओं से जोड़ना तथा समय–समय पर उनके लिए उत्पाद मांग उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना भी संस्था का एक महत्वपूर्ण दायित्व होगा।

9. परिसर के रख–रखाव का दायित्व पर्यटन समिति का होगा परंतु बिजली कनेक्शन तथा विद्युत बिल संस्था द्वारा देय होगा।

(III) प्रक्रियाः—

संस्था द्वारा 2 भागों में अपने निविदा आवेदन प्रस्तुत किए जाएगें:—

1. **तकनीकी निविदाः—** इसमें
   - आवश्यक आर्हताओं से संबंधित दस्तावेज
   - कार्य क्षेत्र का अनुभव
   - वित्तीय क्षमता आदि हेतु प्रमाण संलग्न किए जाऐंगे।
2. **वित्तीय निविदाः—** इसमें परिसर के मासिक किराए की दर कोट की जाएगी जो एक वर्ष के लिए वेलिड रहेगी।

(IV) EMD:- इच्छुक संस्थाओं द्वारा अपनी निविदा के साथ Rs 10,000 (दस हजार) हजार की EMD, फिडस डिपौजिट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी जो कि अनुबंध उपरांत चयनित संस्था को छोड़कर अन्य को वापस की जा सकेगी। यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डौरी को संबोधित होगा।

(V) जमानत राशी:- Rs 50,000 (पचास हजार) अनुबंधित संस्था द्वारा अनुबंध के समय जमा करायी जाएगी। यह राशि अनुबंध समाप्ति के समय ब्याज रहित वापिस की जावेगी। अनुबंध निरस्ती के प्रकरण में अंतिम निर्णय जिला पर्यटन विकास समिति, डिण्डौरी का होगा।

(VI) समय सारणी

संस्थाओं से दिनांक 08.09.2014 को समय शाम 3 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में होगी लिफाफों के उपर क्रमशः **A** और **B** लिखा होगा। दोनो लिफाफें एक तीसरे लिफाफे के अंदर होगें। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण समस्त संस्था प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 08.09.2014 समय 05:00बजे किया जावेगा। परीक्षण के दौरान पहले लिफाफा **A** अर्थात तकनीकी निविदा पहले खोली जावेगी। वे संस्था जिनकी तकनीकी निविदा सफल होती है, सिर्फ उनका लिफाफा **B** अर्थात वित्तीय निविदा खोली जावेगी। चयनित संस्था के साथ दिनांक 09.09.2014 को अनुंबध किया जायेगा।

सम्पर्कः— जिला पंचायत डिण्डौरी (म0प्र0)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी (म0प्र0)